

जिला कलक्टर एवं  
जिला परियोजना समन्वयक (IRGY),  
समस्त राजस्थान।

विषय:-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के अन्तर्गत शहरी सौन्दर्यीकरण के कार्य बाबत।

प्रसंग:-विभागीय समसंख्यक क्रमांक 3640-3672 दिनांक 08.03.2023, 3683-3715 दिनांक 09.03.2023 एवं 5741-5773 दिनांक 23.03.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों की निरन्तरता के क्रम दिनांक 04.04.2023 को मुख्य सचिव महोदया द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के अन्तर्गत निकायों के द्वारा शहरी सौन्दर्यीकरण के कार्यों को करवाये जाने के क्रम में निर्देशित किया गया है कि दिनांक 08.04.2023 तक जिलों के अन्तर्गत हरा-भरा शहर, सुन्दर शहर एवं स्वच्छ शहर से सम्बन्धित कार्यों की कार्ययोजना समस्त नगरीय निकायों के लिए तैयार की जाकर दिनांक 15.04.2023 से 30.06.2023 तक कार्य योजना के अनुरूप कार्यों को प्रारम्भ करवाकर कार्यों की सूचना संलग्न अनुलग्नक 1 में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकाय शहरों का भ्रमण करने पर यह जानकारी में आया है कि शहरी क्षेत्र के विकास एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से जो कार्य विभिन्न योजनाओं के तहत प्रस्तावित/प्रगतिरत है, वे शहरी क्षेत्र के अलग-अलग भागों में प्रस्तावित/प्रगतिरत होने के कारण शहरी क्षेत्र का समग्र विकास एवं सौन्दर्यीकरण एकरूपता में किया जाना संभव नहीं हो पाता है। मुख्य सचिव महोदया के निर्देशानुसार शहरों के समग्र सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्तावित कार्य योजना निम्नानुसार कार्यों को प्राथमिकता प्रदान कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाना अतिआवश्यक है कि शहरी क्षेत्र के जिस प्रमुख मार्ग, चौराहा, उद्यान, सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय रख-रखाव, बावडी, शमशान, एमआरएफ सेन्टर, सडकों की मैकेनाईज्ड स्वीपिंग, घर-घर कचरा संग्रहण एवं अन्य कार्य एक साथ कार्ययोजना में शामिल किये जाये जिससे शहर का समग्र सौन्दर्यीकरण एवं विकास एकरूपता में किया जा सके।

1. **हरा-भरा शहर:-** नगरीय निकाय क्षेत्रों में 67 लाख वृक्षारोपण संबंधी कार्य वन विभाग के माध्यम से कराये जाने हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 08.03.2023 के द्वारा नगरीय निकायों को लक्ष्यों का आवंटन किया जाकर वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्धारित किये गये लक्ष्यों के अनुरूप राजकीय भवनों, राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों/ महाविद्यालयों के खेल मैदान, स्टेडियम एवं सडक के दोनों किनारों एवं डिवाईडर में सम्बन्धित विभागों के माध्यम से योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यों को कराया जावे।

2. **सुंदर शहर:-** योजनान्तर्गत कराये जा रहे सौन्दर्यीकरण कार्यों में "नारा लेखन" को सीमित करते हुए स्थानीय कला, संस्कृति, रंग-रोगन थीम को ध्यान में रखते हुए नगरीय निकायों में निर्धारित मोड में कराया जावे, जिससे आगामी दिनांक 30.06.2023 तक शहरों का कायाकल्प हो सके। शहर के प्रमुख स्थानों विशेषकर: Entry Places/Roads, Tourist Places, Stepwells, Public Places, Government Buildings, Public Places, Median Strip, Crossing, Circle Designation, Directional Signage, Government आदि को प्राथमिकता प्रदान कर सौन्दर्यीकरण के कार्य कराये जावे।

RajKaj Ref No. : 3582578

Signature valid  
Digitally signed by Hridesh Kumar Sharma, DN: cn=Hridesh Kumar Sharma, o=Government of Rajasthan, ou=Government of Rajasthan, email=hridesh.kumar@rajasthan.gov.in, c=IN  
Date: 2023.04.05 18:56:31 IST  
Reason: Approved



3. **स्वच्छ शहर:**— योजनान्तर्गत सुन्दर, स्वच्छ और हरा-भरा शहर की थीम पर नगरीय निकायों क्षेत्रों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता हेतु कार्यों को **स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के अन्तर्गत प्रमुख** मार्गों पर कचरा/मलबा इकट्ठा कर उसका परिवहन, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों की साफ-सफाई, प्रमुख मार्गों/डिवाईडर/ग्रीन स्ट्रीप/सर्कल एवं सावर्जनिक स्थलों पर पड़े पॉलिथीन/प्लास्टिक थैलियों को इकट्ठा करना, मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी व सूखे कचरे की छटाई एवं आईईसी गतिविधियां गतिविधियों का अन्य योजना से कन्वर्जेंस करते समय यह ध्यान रखा जावे कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजना/संवेदक को आवंटित कार्य में तो स्वीकृत नहीं है, जिससे कि दोहरे भुगतान की संभावनाएँ नहीं बन पाएँ।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी एवं स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के अन्तर्गत शहरों के प्रमुख मार्गों/चौराहों पर हरा-भरा शहर, सुन्दर शहर एवं स्वच्छ शहर और हरा-भरा शहर के अन्तर्गत संकलित दृष्टिकोण (Integrated Approach) के तहत कार्य योजना तैयार की जाकर कार्यों का क्रियान्वयन करवाया जावे।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

(हृदेश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:एफ.56 (क)सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/8216-847-2  
प्रतिलिपी:—

दिनांक: - 05.04.2023

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक (IRGY-U), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. संबंधित आयुक्त/अधिशापी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका को उपरोक्तानुसार पालनार्थ।
7. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Signature valid

Digitally signed by Hridesh Kumar  
Sharma  
Designation: Director  
Date: 2023.04.05 18:56:31 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3582578





**इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत  
दिनांक 15.04.2023 से 30.06.2023 तक निकाय बार कराये जाने वाले कार्यों का  
संक्षिप्त विवरण**

दिनांक:

क्र. सं.	जिला	नगरीय निकाय	कार्यों से संबंधित मुख्य बिन्दु	योजना का नाम	करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण					विशेष विवरण	
					संख्या	स्वीकृत राशि			कार्य की स्थिति		
						श्रम	सामग्री	योग	प्रारंभ		अप्रारंभ
			हरा भरा, स्वच्छ एवं सुन्दर शहर								
			i. पार्कों का पुनरुद्धार (Renovation)	IRGY							
			ii. श्मशान/कब्रिस्तान का पुनरुद्धार (Renovation)	IRGY							
			iii. बावड़ी एवं जलाशय का पुनरुद्धार (Renovation)	IRGY							
			iv. खेल मैदान एवं स्टेडियम का पुनरुद्धार (Renovation)	IRGY							
			v. पेंटिंग (शहर की मुख्य सड़क की मीडियन या रोड़ साईड, दीवारों की हेरिटेज पेंटिंग संबंधी कार्य। A कार्यों की संख्या	IRGY							
			B Runing Per. Km (Road/median)								
			vi. A. सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों की संख्या जिनकी साफ सफाई मार्च 2023 के पश्चात की गई/ की जानी है।	SBM/SFC							
			B. MRF की संख्या जो मार्च 2023 से जून 2023 के मध्य लगाये गये/जाने है।	SBM							
			C. MRF की Processing Capacity (TPD) जो मार्च	SBM							

Signature valid

Digitally signed by Hridesh Kumar Sharma

Designation: Director

Date: 2023.04.05 18:56:31 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No : 3582578



		2023 से जून 2023 के मध्य लगाये गये/जाने है।								
		D. MRF की संख्या जो मार्च 2023 से जून 2023 के पश्चात लगाये गये/जाने है	SBM			-	-			
		E. MRF की Processing Capacity (TPD) जो मार्च 2023 से जून 2023 के पश्चात लगाये गये/जाने है	SBM			-	-			
		F. Solid waste Processing plant की संख्या जो मार्च 2023 से जून 2023 के पश्चात लगाये गये/जाने है।	SBM			-	-			
		G. Solid waste Processing plant की Processing Capacity (TPD) जो मार्च 2023 से जून 2023 के पश्चात लगाये गये/जाने है।	SBM			-	-			
		H. Uncovered ward कि संख्या जिनका Door to Door कचरा संग्रहण मार्च 2023 से जून 2023 के पश्चात जोडा गया/ जाना है।	SBM			-	-			
		I. Waste segregation at source मार्च 2023 तक वार्डों में Coverage प्रतिशत	SBM			-	-			
		J . Waste segregation at source मार्च 2023 के पश्चात जून 2023 तक प्रतिशत Coverage जो वार्डों में किया जाना है।	SBM			-	-			
		vii. ईटरलोकिंग संबंधित कार्य	IRGY							
		viii. पौधारोपण संबंधि कार्य जो मार्च 2023 से जून 2023 तक किया जाना है (पौधों की संख्या)	IRGY							
		योग								

Signature valid

Digitally signed by Hridesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date: 2023.04.05 18:56:31 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3582578

